

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानगरी भवन, नया रायपुर

फ/एफ 13-5/2016/20-तीन (1)

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रति,

कलेक्टर,

जिला—बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, वैमेतरा, विलासपुर, गरियाबंद
जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोणडागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली
रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा

विषय:- 59 मॉडल स्कूल का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाना।

—0—

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छ.ग. राज्य में शैक्षणिक रूप से मिशन के अंतर्गत मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है। मई 2015 से मॉडल स्कूल का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य शासन को कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 59 मॉडल स्कूलों का संचालन कॉमर्सियल आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन 59 विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इनका संचालन डीएक्सी कॉलेज मैनेजिंग कमिटी, चित्रगुप्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली संस्था द्वारा किया जाएगा। संस्था से किया गया अनुबंध की छायाप्रति पृथक से प्रेषित की जा रही है।

संचालन के मुख्य बिन्दु :-

(क) भवन —

1. अप्रैल 2016 से सभी विद्यालयों का भवन, मैदान एवं सामग्री संबंधित संस्था को 30 वर्ष की अवधि के लिए उपयोग हेतु उनको Usage Rights (उपयोग का अधिकार) अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु एक स्थानीय अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसका मूल्य रु. 100 प्रति शाला के हिसाब से होगा। प्रत्येक शाला हेतु पृथक अनुबंध होगा। इस हेतु तत्काल कार्यवाही करें / निर्देश जारी करें।
2. विद्यालय एवं मैदान का स्वामित्व छ.ग.शासन के पास ही रहेगा।
3. सभी विद्यालय “जहाँ है, जैसे हैं” के आधार पर उन्हें संचालन हेतु उपलब्ध होंगे।
4. विद्यालय में लगने वाला अतिरिक्त फर्नीचर एवं सामग्री हेतु एकमुश्त अनुदान स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुबंधकर्ता के संयुक्त निरीक्षण पश्चात् जारी की जा सकेगी।
5. विद्यालय भवन के मरम्मत एवं रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी।
6. अनुबंधित अवधि समाप्त होने पर निजी संस्था द्वारा सभी अचल संपत्ति तथा शासकीय प्रदत्त चल संपत्ति को छोड़कर उनके द्वारा लायी गई चल संपत्ति को ले जाने की अनुमति भौतिक सत्यापन पश्चात् दी जा सकती है।
7. संस्था भवन एवं अचल संपत्ति को उसी स्थिति में वापस करेगा जिस स्थिति में उसे दिया गया है।

(ख) अध्यापन -

1. शाला का सम्पूर्ण संचालन उत्तर राज्य संस्था द्वारा किया जाएगा। इसी अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं गैर शैक्षकीय गतिविधियों भी उनके दायित्व में रहेगा।
2. शाला का कक्षा 1ली से 12वीं तक निजी राज्य के माध्यम से संचालन होगा।
3. इन विद्यालयों में दिनांक 01 अप्रैल 2016 से शासन की ओर से कोई भी अंतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं होगे और न ही पदांकित होंगे।
4. संस्था द्वारा दो पालियों में सुविधानुसार कक्षा का संचालन किया जा सकता है।
5. इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित होगी।
6. किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 90 होगी। प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 02 सेक्षण होंगे।
7. स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति से दो से ज्यादा सेक्षण भी किसी कक्षा के लिए खोला जा सकता है।
8. विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।
9. जिन विद्यालयों की मान्यता सीबीएसई से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली जा चुकी है वह अनुबंधकर्ता को हस्तांतरित हो जाएगी। नयी मान्यता तथा हस्तानान्तरण हेतु होने वाला व्यय अनुबंधकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) वित्तीय प्रबंधन -

1. इन 59 विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संस्था को राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त रु. 7216 प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रदाय किया जाएगा।
2. संस्था स्वयं के साधन से शाला संचालित करेगा, इस हेतु वह स्थानीय तौर शासकीय कोटे एवं RTE कोटे को छोड़कर, अन्य विद्यार्थियों से Fees प्राप्त कर सकता है।
3. अनुबंधकर्ता द्वारा विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर किया जाएगा, इसके लिए 04 सूचकांक तय किए गए हैं, जिसमें कमी पाये जाने पर अनुबंधकर्ता को होने वाले भुगतान में कटौती की जा सकेगी। सुलभ संदर्भ हेतु अनुबंध के नियम – 19 में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। यह सूचकांक होंगे-
 1. 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या,
 2. निजी तथा शासकीय विद्यार्थियों के मध्य उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की तुलना,
 3. ड्राप आउट अनुपात, एवं
 4. कक्षा 6वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों द्वारा सीरीई में प्राप्त ग्रेड।

(घ) दाखिला-

1. इन विद्यालयों में दाखिला शासकीय कोटा एवं RTE कोटे को छोड़कर, संस्था द्वारा किया जाएगा।

real

2. कक्षा 6वीं अप्रैल आगे की कक्षाओं में छाइंगी नया वाखिला कानूनकर द्वारा / जिला रत्तर पर नहीं किया जाएगा।
3. अनुबंध के अनुसार संस्था इन विद्यालयों में रिक्त रीटों पर खुली प्रवेश नियम से रीट भरने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। (सभी कक्षाओं) में कुल निर्धारित सीट का 08 प्रतिशत् सीट निःशुल्क होंगे तथा 25 प्रतिशत् सीट RTE Norms के आधार पर भरे जाएंगे। इस प्रकार दो सेकेशन गानते हुए, प्रत्येक कक्षा में कुल स्वीकृत अधिकतम 90 सीट में से 7 सीट निःशुल्क शासकीय कोटा एवं 23 सीट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिला दे सकते हैं।
4. इनमें से 25 प्रतिशत् ऐसे विद्यार्थी जिनका नामांकन आरटीई नार्मस के आधार पर किया गया है, उनके फीस की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा किया जाएगा एवं 8 प्रतिशत् निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थियों को संबंधित संस्था कक्षा पहली से बारहवीं तक पूर्णतः निःशुल्क अध्ययन-अध्यापन कराया जाएगा।
5. इस 8 प्रतिशत् निःशुल्क शासकीय कोटा वाले विद्यार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
6. संस्था द्वारा कक्षा 1ली से 6वीं तक का नामांकन (दाखिला) इस वर्ष किया जा सकेगा। कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में सीट रिक्त होने पर निजी संस्था खुले प्रवेश नियम के तहत् सीट भरने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनका फीस निजी संस्था ले सकेगी। परंतु कक्षावार कुल स्वीकृत सीट संख्या से अधिक की दाखिला बिना विभागीय पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
7. वर्तमान नामांकित विद्यार्थी जब तक 12वीं उत्तीर्ण नहीं होते हैं तबतक उन्हें पढ़ाने एवं उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी निजी संस्था की होगी।

(च) अन्य निर्देश –

1. चूंकि शाला संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा, अतः उसकी मान्यता, आदि हेतु शर्तों का पालन तथा आवश्यकतानुसार मान्यता हेतु अर्हता पूर्ण करने की जिम्मेदारी उक्त संस्था की रहेगी।
2. सभी विद्यालयों का संचालन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष संस्था द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा, एवं जिसका उपाध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले का राजपत्रित अधिकारी होगा। इस शाला प्रबंधन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण अनिवार्यतः सदस्य होंगे।
3. प्रत्येक विद्यालय को "विद्यार्थियों का लैंगिक अपराध एक्ट 2012" का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के अनुबंध की उल्लंघन एवं नियमों का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा ग्रेडेड पैनल्टी एवं टर्मिनेशन का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका उल्लेख Concessionnaire Agreement में है।

real

कायोलय कलेक्टर बिलासपुर (झ.ग.)

फ़ूमार - 07752 405454

135 / आरएमएसएम / गोडल रघूल / 2016-17

ईमेल: rmsu.bilaspur@gmail.com

बिलासपुर दिनांक 26.05.201

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन रघूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश के 59 मॉडल स्कूलों का रायालन का प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाना है, इसे हेतु संचालक लोक शिक्षण रायपुर एवं डी.ए.ए. मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली के मध्य अनुबंध किया गया है। अनुबंध की धारा 21.1.2 के तहत सामाजिकों का जॉच व ऑकलन किया जाएगा। जिले के 07 मॉडल स्कूलों हेतु नियमानुसार नियमित गरित की जाती है, जॉच समिति के सदस्य डी.ए.ए. संस्था के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से इनका विवरण दिया जाएगा। जॉच समिति ने इन सभी मॉडल स्कूलों का आकलन कर एक राप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

संक्र.	विकासखंड	मॉडल स्कूल का नाम	प्रभारी अधिकारी	सदर्यों के नाम
1.	बिल्हा	मॉडल स्कूल गोडी	अनुविभागीय अधिकारी बिल्हा	सहायि परिअधि.रा.मा.शि.गि.
2.	कोटा	मॉडल स्कूल गोवरीपाट	अनुविभागीय अधिकारी कोटा	प्राचार्य मॉडल स्कूल गोवरीपाट
3.	तखतपुर	मॉडल स्कूल देवरीखुर्द	अनुविभागीय अधिकारी कोटा	सहायि परिअधि.रा.मा.शि.गि.
4.	मस्तूरी	मॉडल स्कूल वेदपरसदा	अनुविभागीय अधिकारी मस्तूरी	प्राचार्य मॉडल स्कूल वेदपरसदा
5.	पेण्ड्रा	मॉडल स्कूल कुड्कई	अनुविभागीय अधिकारी पेण्ड्रारोड	सहायि परिअधि.रा.मा.शि.गि.
6.	गौरेला	मॉडल स्कूल सारवहरा	अनुविभागीय अधिकारी पेण्ड्रारोड	प्राचार्य मॉडल स्कूल सारवहरा
7.	मरवाही	मॉडल स्कूल कुम्हारी	अनुविभागीय अधिकारी पेण्ड्रारोड	सहायि परिअधि.रा.मा.शि.गि.
				प्राचार्य मॉडल स्कूल कुम्हारी

Bilaspur,
कलेक्टर 25/05/2016
बिलासपुर छ.ग.

बिलासपुर दिनांक 26.05.2016

पृ.क्रमांक / 136 / आरएमएसएम / मॉडल स्कूल / 2016-17

प्रतिलिपि:-

- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को सूचनार्थ।
- जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर समन्वय कर जांच तिथि निर्धारित करें एवं कार्य पूर्ण करावें।
- संबंधित प्राचार्य मॉडल स्कूल बिलासपुर को पालनार्थ।
- क्षेत्रीय सहायक संचालक डी.ए.ए.व्ही. मैनेजिंग कमेटी गिलाई को सूचनार्थ।
- प्राचार्य डी.ए.ए.व्ही. वसंत विहार बिलासपुर को सूचनार्थ।
- प्राचार्य डी.ए.ए.व्ही. कुसमुंडा जिला कोरबा को सूचनार्थ।

Bilaspur,
कलेक्टर
बिलासपुर छ.ग.

क्र.	जिला	59 गाँड़ल रकूल पिकाराखेल	गाँड़ल रकूल का नाम
1	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बालरिया / <i>Balrampur</i>
2	बलौदाबाजार	बसड़ाल	बिस्तरी / <i>Bishtari</i>
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बिराईद / <i>Biraiyed</i>
4	बलौदाबाजार	माटापारा	सावरी / <i>Savri</i>
5	बलरामपुर	रामचंद्रपुर	टिकुलिया / <i>Tikuliya</i>
6	बलरामपुर	वाडफनगर	भवरगाल
7	बलरामपुर	राजपुर	प्रेमगंगर
8	बस्तर	बस्तर	पतशतु
9	बस्तर	जगदलपुर	करमरी
10	बस्तर	तोकापाल	आडावाल
11	बस्तर	दरभा	सिंधनपुर
12	बस्तर	लोहानडीगुड़ा	गुमदपाल(छिंदावाडा)
13	बस्तर	बस्तनार	लम्दागुड़ा
14	बस्तर	बकावंद	लालागुड़ा
15	बेमेतरा	बेमेतरा	उल्नार
16	बिलासपुर	बिल्हा	जांता
17	बिलासपुर	गौरेला	गोढ़ी
18	बिलासपुर	कोटा	सरबहरा
19	बिलासपुर	मरवाही	गोबरीपाट
20	बिलासपुर	मस्तुरी	कुम्हारी
21	बिलासपुर	पेणझा	वेदपरसदा
22	बिलासपुर	तखतपुर	कुडकई / <i>Kudkei</i>
23	गरियाबंद	देवभोग	देवरी खुर्दं
24	गरियाबंद	मैनपुर	मुंगझर
25	जांजगीर-चांपा	पामगढ़	देहारगुड़ा
26	जशपुर	बगीचा	कुत्राबोड / <i>Kutrabodd</i>
27	जशपुर	कांसाबेल	बगीचा
28	जशपुर	पथ्थलगांव	कांसाबेल
29	कबीरधाम	कवर्धा	पंडरी पानी
30	कबीरधाम	पंडरिया	धरमपुरा
31	कोंडागांव	कोंडागांव	लड्हवा
32	कोंडागांव	माकड़ी	देव खरगांव
33	कोंडागांव	फरसगांव	बेलगांव
34	कोंडागांव	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुरी (होनावण्डी)
35	कोंडागांव	केशकाल	गरकागुडरेपारा
36	कोरबा	कोरबा	खरमोरा / <i>Kharmoda</i>
37	कोरबा	करतला	बडमार / <i>Badmar</i>
38	कोरबा	कटघोरा	जेन्जरा / <i>Jenjra</i>

39	कोरबा	✓	पाली	रीला • Sain
40	कोरबा	✗	पौड़ी उपरोड़ा	डोंगरतराई(भावर) 19680209
41	कोरिया	✗	खडगवान	साकरिया
42	कोरिया		मनेन्द्रगढ़	कछौद
43	कोरिया		मरतपुर	जनकपुर
44	मुंगेली		मुंगेली	बीरगांव फुलवारी • Birgaon
45	मुंगेली		पथरिया	जरेली (पण्डी) • Joreli
46	मुंगेली		लोरमी	कोतरी • Kotri
47	रायगढ़	✓	लैलुंगा	कुन्जारा • Kunjara
48	रायगढ़	✓	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ ✓
49	सरगुजा		मैनपाट	नर्मदापुर
50	सरगुजा		लखनपुर	केवडी
51	सरगुजा		बतौली	भटको
52	सरगुजा		लुन्डा	कडकी
53	रारगुजा		सीतापुर	प्रतापगढ़
54	सरगुजा		अस्थिकापुर	परसा
55	सरगुजा		उदयपुर	सन्नीबरा
56	सूरजपुर		भैयाथान	जामडी
57	सूरजपुर		प्रतापपुर	कनकनगर
58	सूरजपुर		ओडगी	कलामंजन
59	सूरजपुर		सूरजपुर	तिलिसवां

Breghle -

अवर सम्बिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर